

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of The  
GM(OPTG)  
Hajipur

No.ECR/Optg.Safety /G&SR /24/505

Date: 18.08.23


**Divisional Railway Manager**  
East Central Railway  
DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ

**Sub:** Correction slip No. 08 to General & Subsidiary Rule Book of ECR(English &Hindi  
Edition – 2018

Correction slip No. 08 to General & Subsidiary Rule Book, Edition -2018 of East  
Central Railway is issued in English and Hindi version and being sent for necessary  
compliance.

Divisions are requested to ensure immediate circulation of its copies in sufficient  
number for updating G&SR books and implementing the same with immediate effect.

**DA:** - As above.

  
( S.K.Sanjay)  
ATM/HQ  
ECR.Hajipur

**Copy to:-**

1. Advisor Safety Rly. Board/New Delhi
2. Secy. to GM – for kind information of GM
3. PS-I- kind information to AGM/ECR
4. PCSO, PCCM, PCE, PCEE, PCME, PCSTE, CELE, CME/Diesel & Disaster Management –  
for information please.
5. PCOM – ER, SER, NER, NCR, NFR,NR for information please.
6. Sr. DOM- DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ – for compliance please.
7. Sr. DSO- DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ- for compliance please
8. PRINCIPAL – ZRTI/MFP- for information please
9. PRINCIPAL – ZRTI/ Bhuli/Dhanbad- for information please
10. In charge Safety Camp – DHN for information please
11. Principal – DTC/DNR, DDU, &SPJ- for information please
12. CAO-North/MHX -for information please
13. CAO- South/MHX- for information please

**EAST CENTRAL RAILWAY**

Last Correction Slip No.07 dated 25.10.2022

**CORRECTION SLIP No - 08**

[GR & SR BOOK-2018]

The following corrections with 13 items have been made in GR & SR Book (English Edition- 2018) and being sent for necessary compliance.

**ITEM NO. 01**

On page No. 1, Delete the existing Sub-rule (1) and (2) of GR 1.01 and substitute the following in its place -

Short title and commencement-

- (1) These rules may be called the Indian Railways (Open Lines) General (Second Amendment) Rules, 2023.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

C/S No.08 to G&SR-2018/ECR, Dated- 17 .08.2023

{Authority Railway Board letter No. 2021/Safety (A & R)/19/49 Pt.I dated. 31.07.2023}  
and Gazette notification G.S.R 535 (E) dated 25.07.2023}

**ITEM No. 02**

On page No. 26, Delete the sub-rule (2) of GR 3.13 and substitute the following in its place -

- (2) A Calling-on signal, where provided, shall be fixed below a Stop signal governing the approach of a train. Under special instructions, a Calling - on signal may be provided below any other Stop signal except the last stop signal.

C/S No.08 to G&SR-2018/ECR, Dated- 17 .08.2023

{Authority Railway Board letter No. 2021/Safety (A & R)/19/49 Pt.I dated. 31.07.2023}  
and Gazette notification G.S.R 535 (E) dated 25.07.2023}

**ITEM NO. 03**

On page No. 52, Add the following as sub-rule (1) of GR 3.47

- (1) Taking 'Off' signals for more than one train at a time when two or more trains are approaching simultaneously from any direction may be permitted over non isolated lines; under special instructions when requirements of adequate distance under Rule 3.40 are fulfilled; and under approved special instructions when requirements of adequate distance under Rule 3.40 are not fulfilled.

C/S No.08 to G&SR-2018/ECR, Dated- 17.08.2023

{Authority Railway Board letter No. 2021/Safety (A & R)/19/49 Pt.I dated. 31.07.2023}  
and Gazette notification G.S.R 535 (E) dated 25.07.2023}

*Rang Singh*  
17/8/23

#### **ITEM NO. 04**

**On page No. 52, Add the following as SR of GR 3.47.**

**The rule GR 3.47 to be read along with the following instructions:**

1. *All such dispensations under GR 3.47(1) shall be separately listed under heading "Simultaneous Movements without Physical isolation" in the SIP & SWR Diagram.*
2. *All "Simultaneous Movements without Physical Isolation" shall be included in Station Working Rules along-with instructions as approved under "special instructions" or under "approved special instructions".*
3. *Special precautions for allowing directly opposite movements may be considered by the Zonal Railways as per site requirements, if any.*
4. *Before permitting movements under GR 3.47(1), local conditions like gradients, speed, curvature, in the yards etc. may be considered.*

C/S No.08 to G&SR-2018/ECR, Dated- 17.08.2023

{Authority Railway Board letter No. 2021/Safety (A & R)/19/49 Pt.I dated. 31.07.2023}  
and Gazette notification G.S.R 535 (E) dated 25.07.2023}

#### **ITEM No. 05**

**On page No. 83, Delete the existing sub-rule (4) of GR 3.70 and substitute the following in its place -**

- (4) **Where under special instructions a Calling- on signal has been provided below a departure Stop signal, other than the last Stop signal, the Calling-on signal shall not be taken "off" unless the conditions for taking "off" the departure Stop signal above it have been fulfilled.**

C/S No.08 to G&SR-2018/ECR, Dated- 17.08.2023

{Authority Railway Board letter No. 2021/Safety (A & R)/19/49 Pt.I dated. 31.07.2023}  
and Gazette notification G.S.R 535 (E) dated 25.07.2023}

#### **ITEM No. 06**

**On page No. 92, Delete the existing sub-rule (1) (b) of GR 3.81 and substitute the following in its place -**

- (1) (b) **by taking 'Off' the Calling-on signal, if provided under special instructions, vide sub-rule (2) of Rule 3.13.**

C/S No.08 to G&SR-2018/ECR, Dated- 17.08.2023

{Authority Railway Board letter No. 2021/Safety (A & R)/19/49 Pt.I dated. 31.07.2023}  
and Gazette notification G.S.R 535 (E) dated 25.07.2023}

  
17/8/23



**ITEM NO. 07**

On page No. 140, Add the following as second paragraph to sub-rule (3) (a) of SR 4.42 -

**Manner of exchange of Signals by Station staff**

- (a) *The All Right Signal to be shown by the Station staff by holding a unfurled green flag in left hand and furled red flag in right hand during day.*
- (b) *During night/thick, foggy or tempestuous weather, by holding a tri-colour torch.*

C/S No.08 to G&SR-2018/ECR, Dated- 17.08.2023

**ITEM NO. 08**

Delete the existing Sub-rule (1)(b) of SR 5.09 on page no. 183 and substitute the following in its place -

- (b) *The Station Master on duty himself or any other Competent Railway Servant authorized in this behalf when necessary shall stand at a distance of not less than 45 meters from the point of obstruction exhibiting a hand danger signal to indicate to the Loco Pilot, where to bring his train to a stand.*

C/S No.08 to G&SR-2018/ECR, Dated- 17.08.2023

**ITEM NO. 09**

On page No. 188, Delete the existing GR 5.16 and substitute the following in its place-

- 5.16. Shunting during reception of trains - When signals have been taken 'off' for an incoming train on to a line which is not isolated, no shunting movement shall be carried out towards points over which the incoming train is to pass except under special instructions for identified stations where frequent shunting movements take place, and where such points are protected by a Stop Signal or by a Shunt Signal with the precautions to be observed while performing shunting that -
- a) shunting shall be carried out under supervision of authorised competent railway servant ; and
  - b) rake or load should be fully on air brake; and
  - c) the maximum speed during shunting operations shall not exceed 15 kmph.

C/S No.08 to G&SR-2018/ECR, Dated- 17.08.2023

{Authority Railway Board letter No. 2021/Safety (A & R)/19/49 dated. 25.07.2023) and Gazette notification G.S.R 526 (E) dated 21.07.2023}

*Rangh*  
17/8/23

## ITEM NO. 10

On page No. 188, Add the following as sub-rule (2) of SR 5.16 and read the existing rule as sub-rule (1) -

The rule GR 5.16 is to be read along with the following instructions:

1. The relaxation of signaled shunting movements under provisos of revised 5.16 by PCOM may be done as an exception.
2. In such cases of shunting which are permitted by PCOM under special instructions under revised GR 5.16, the shunting is to be carried out with Loco in leading towards the point over which incoming train is to pass. Shunting with Loco in pushing should not normally be permitted for shunting movements permitted by PCOM under special instructions.
3. Additional precautions based on local conditions may be prescribed by PCOM to ensure safety wherever required.
4. The signaled shunting movements which are permitted under special instructions by PCOM should be clearly endorsed on the Signal Interlocking Plan and Station Working rule diagram.
5. Since the precautions stated in amended GR 5.16 are to be exercised by field staff, the details of such movements which have been permitted by PCOM under special instructions should be clearly mentioned in Station Working Rules along with the list of precautions to be taken as follows:

S.No.	Signaled shunting movements permitted under special Instructions		Precautions to be taken
	From Shunt Signal No.	Towards point no. (over which incoming train is to pass)	
1.			
2.			

6. The dispensation by PCOM under special instructions under amended GR 5.16 should be processed at the time of approval of Signalling Plans so that no rework is involved subsequently.

C/S No.08 to G&SR-2018/ECR, Dated- 17.08.2023

{Authority Railway Board letter No. 2021/Safety (A & R)/19/49 dated. 25.07.2023} and Gazette notification G.S.R 526 (E) dated 21.07.2023}

## ITEM No. 11

On page No. 227, Delete the existing sub rule (3) of GR 8.05 and substitute the following in its place -

- (3) When signals have been taken 'off' for an incoming train on to a line which is not isolated, no shunting movement shall be carried out towards points over which the incoming train is to pass except as permitted by rule 5.16 of these rules.

C/S No.08 to G&SR-2018/ECR, Dated- 17.08.2023

{Authority Railway Board letter No. 2021/Safety (A & R)/19/49 dated. 25.07.2023} and Gazette notification G.S.R 526 (E) dated 21.07.2023}

## ITEM No. 12

On page No. 229, Delete the existing sub rule (2) of GR 8.10 and substitute the following in its place -

- (2) When signals have been taken 'off' for an incoming train on to a line which is not isolated, no shunting movement shall be carried out towards points over which the incoming train is to pass except as permitted by rule 5.16 of these rules.

C/S No.08 to G&SR-2018/ECR, Dated- 17.08.2023

{Authority Railway Board letter No.2021/Safety (A & R)/19/49 dated. 25.07.2023} and Gazette notification G.S.R 526 (E) dated 21.07.2023}

*Handwritten signature and date 17/8/23*



**ITEM NO. 13**

On page no. 338, Delete the existing sub-rule (2)(A) of SR. 16.02 and substitute the following in its place -

**(A) EQUIPMENTS TO BE KEPT AT LEVEL CROSSINGS:-**

S.No	Items	Quantity/Numbers
1.	Hand Signal Lamp /Tri Colour Torch	3 (5 on Quadruple Line or Triple Line or Twin Single Line.)
2.	Hand Signal Flag (Green)	1 (Mounted on sticks.)
3.	Hand Signal Flag (Red)	3 Mounted on sticks (5 on Quadruple Line or Triple line or Twin Single Line all mounted on sticks )
4.	Banner Flag (Red)	3 (5 on Quadruple Line or Triple Line or Twin Single Line)
5.	Post for exhibiting red banner flag	3 (5 on Quadruple Line or Triple Line or Twin Single Line)
6.	Spare chains with padlocks	2 (with stop mark.) <b>Note: Where Sliding Booms in addition to lifting barriers are provided, use of Chains &amp; Padlocks may be dispensed with.</b>
7.	Detonators	10 (in a case.)
8.	Fusee	1 (3 on multiple line, double line, parallel lines suburban sections, automatic signaling and ghat sections) <b>Note: Where LED based cell/battery operated Flashing Hand signal Lamps are provided, use of Fusee shall be dispensed with. The Gateman should also have with him one set of spare cell/ battery.</b>
9.	Gate lamps	2 (Except where retro reflective fitting in lieu of gate lamp signal for road users has been provided).
10.	Tommy Bar	1
11.	Mortar Pan	1
12.	Spade/Fowrah	1
13.	Rammer	1 (in case of asphalted road this may not be provided)
14.	Pick Axe	1 (in case of asphalted road this may not be provided)
15.	Cane for oil	1
16.	Water pot/Bucket	1
17.	Set of spare spectacles if gateman wearing glasses	1
18.	Board demarcating protection of level crossing gate diagram in case of obstruction on gate	1
19.	Basket	1
20.	Whistle	1
21.	Wall Clock	1

**Note:** Item No. 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18 and 19 shall be dispensed with at the Traffic LC Gates.

C/S No.08 to G&SR-2018/ECR, Dated- 17.08.2023

All concerned will correct GR & SR book of East Central Railway –2018 accordingly and the same shall be brought to the notice of all the officials concerned for suitable action.

*(Manoj Singh)* 17/8/23

Principal Chief Operations Manager  
East Central Railway, Hajipur

No. ECR/Optg.safety /G&SR/24/505

Dated 17.08.2023

पूर्व मध्य रेल  
अंतिम संशोधन पर्वी संख्या 07 दिनांक 25.10.2022  
संशोधन पर्वी संख्या -08  
(सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक 2018)

13 मदों सहित निम्नलिखित संशोधन सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक (हिन्दी संस्करण- 2018) में किए गये हैं जो कि आवश्यक अनुपालन हेतु भेजे जा रहे हैं ।

**मद सं0 : 01**

पृष्ठ संख्या 01 पर वर्तमान सामान्य नियम 1.01 का उपनियम (1) और (2) को हटाकर इसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें -

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (चालित लाइनें) साधारण (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 है ।
- (2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

पू.म.रे./सामान्य एवं सहायक नियम-2018, संशोधन पर्वी सं. 08 दि:17.08.2023

{प्राधिकार-रेलवे बोर्ड का पत्रांक 2021/सेफ्टी (एएण्डआर)/19/49/पार्ट (I) दिनांक 31.07.2023 एवं राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि. 535 (अ) दिनांक 25.07.2023}

**मद सं0 : 02**

पृष्ठ संख्या 28 पर वर्तमान सामान्य नियम 3.13 का उपनियम (2) को हटाकर इसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें -

- (2) यदि बुलावा (कॉलिंग-ऑन) सिगनल लगाया जाता है तो वह आने वाली गाड़ी का नियंत्रण करने वाले रोक (स्टॉप) सिगनल के नीचे लगाया जायेगा । विशेष अनुदेशों के अनुसार बुलावा (कॉलिंग-ऑन) सिगनल अंतिम रोक (स्टॉप) सिगनल के सिवाय किसी भी अन्य रोक (स्टॉप) सिगनल के नीचे लगाया जा सकता है ।

पू.म.रे./सामान्य एवं सहायक नियम-2018, संशोधन पर्वी सं. 08 दि:17.08.2023

{प्राधिकार-रेलवे बोर्ड का पत्रांक 2021/सेफ्टी (एएण्डआर)/19/49/पार्ट (I) दिनांक 31.07.2023 एवं राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि. 535 (अ) दिनांक 25.07.2023}

**मद सं0 : 03**

पृष्ठ संख्या 58 पर निम्नलिखित को सामान्य नियम 3.47 के उपनियम (1) के रूप में जोड़ें -

- (1) जब दो या दो से अधिक रेलें किसी भी दिशा से एक साथ आ रही हों तो एक से अधिक रेलों के लिए सिगनल 'ऑफ' करने के लिए उन्हें गैर पृथक् लाइनों पर अनुमति दी जा सकेंगी; विशेष अनुदेशों के अधीन, जब नियम 3.40 के अधीन पर्याप्त दूरी की आवश्यकता पूरी हो जाती है; और अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अधीन, जब नियम 3.40 के अधीन पर्याप्त दूरी की आवश्यकता पूरी नहीं होती है ।

पू.म.रे./सामान्य एवं सहायक नियम-2018, संशोधन पर्वी सं. 08 दि:17.08.2023

{प्राधिकार-रेलवे बोर्ड का पत्रांक 2021/सेफ्टी (एएण्डआर)/19/49/पार्ट (I) दिनांक 31.07.2023 एवं राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि. 535 (अ) दिनांक 25.07.2023}

17/8/23



मद सं0 : 04

पृष्ठ संख्या 58 पर निम्नलिखित को सामान्य नियम 3.47 के सहायक नियम के रूप में जोड़ें—

नियम जी.आर. 3.47 को निम्नलिखित अनुदेशों के साथ पढ़ा जाए :

1. जीआर 3.47 (1) के अंतर्गत ऐसी सभी विशेषानुमतियों को एस.आई.पी (SIP) और एस. डब्ल्यू.आर (SWR) आरेख में " भौतिक अलगाव के बिना एकसाथ संचलन" शीर्ष के तहत अलग से सूचीबद्ध किया जाएगा ।
2. सभी "भौतिक अलगाव के बिना एकसाथ संचलन" को "विशेष अनुदेशों" या "अनुमोदित विशेष अनुदेशों" के तहत अनुमोदित अनुदेशों के साथ स्टेशन संचालन नियमों में शामिल किया जाएगा ।
3. साइट संबंधी आवश्यकताओं, यदि कोई हों, के अनुसार क्षेत्रीय रेलों द्वारा सीधे ही विपरीत दिशा में संचलन की अनुमति देने के लिए विशेष सावधानियों पर विचार किया जाए ।
4. जी.आर. 3.47 (1) के अंतर्गत संचलन की अनुमति देने से पहले, स्थानीय स्थितियों जैसे ग्रेडिएंट, गति, घुमावदार मोड़, यार्ड आदि के संबंध में विचार किया जाए ।

पू.म.रे./सामान्य एवं सहायक नियम-2018, संशोधन पर्ची सं. 08 दि:17.08.2023

{प्राधिकार-रेलवे बोर्ड का पत्रांक 2021/सेफ्टी (एएण्डआर)/19/49/पार्ट (I) दिनांक 31.07.2023 एवं राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि. 535 (अ) दिनांक 25.07.2023}

मद सं0 : 05

पृष्ठ संख्या 94 पर वर्तमान सामान्य नियम 3.70 का उपनियम (4) को हटाकर इसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें —

(4) जहाँ विशेष अनुदेशों के अधीन कोई बुलावा (कॉलिंग-ऑन) सिगनल किसी ऐसे प्रस्थान रोक (स्टॉप) सिगनल, जो अंतिम रोक (स्टॉप) सिगनल नहीं है, के नीचे लगाया गया है तो उस बुलावा (कॉलिंग-ऑन) सिगनल को तब तक 'ऑफ' नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके ऊपर के प्रस्थान रोक (स्टॉप) सिगनल को 'ऑफ' करने की सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती है ।

पू.म.रे./सामान्य एवं सहायक नियम-2018, संशोधन पर्ची सं. 08 दि:17.08.2023

{प्राधिकार-रेलवे बोर्ड का पत्रांक 2021/सेफ्टी (एएण्डआर)/19/49/पार्ट (I) दिनांक 31.07.2023 एवं राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि. 535 (अ) दिनांक 25.07.2023}

मद सं0 : 06

पृष्ठ संख्या 106 पर वर्तमान सामान्य नियम 3.81 का उपनियम (1) (ख) को हटाकर इसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें —

(ख) यदि नियम 3.13 के उपनियम (2) के अनुसार विशेष अनुदेशों के अधीन बुलावा (कॉलिंग-ऑन) सिगनल की व्यवस्था है, तो उसे 'ऑफ' करके;

पू.म.रे./सामान्य एवं सहायक नियम-2018, संशोधन पर्ची सं. 08 दि:17.08.2023

{प्राधिकार-रेलवे बोर्ड का पत्रांक 2021/सेफ्टी (एएण्डआर)/19/49/पार्ट (I) दिनांक 31.07.2023 एवं राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि. 535 (अ) दिनांक 25.07.2023}

म.र.सि.  
ज/8/23



मद सं० : 07

पृष्ठ संख्या 163 पर निम्नलिखित को सहायक नियम 4.42 के उपनियम (3) (क) के दूसरे पाराग्राफ के रूप में जोड़ें—

स्टेशन कर्मचारी द्वारा सिगनलों के आदान प्रदान करने का तरीका :-

- (क) स्टेशन कर्मचारी द्वारा दिन में बायें हाथ में खुला हुआ हरा झंडा और दाहिने हाथ में समेटा हुआ लाल झंडा रख कर ऑल राइट सिगनल दिखायेगा ।
- (ख) रात/धुंध कोहरे अथवा तूफानी मौसम में ट्राई कलर टॉर्च से ऑल राइट सिगनलों का आदान प्रदान करेगा ।

पू.म.रे./सामान्य एवं सहायक नियम-2018, संशोधन पृची सं. 08 दि:17.08.2023

मद सं० : 08

पृष्ठ संख्या 216 पर वर्तमान सहायक नियम 5.09 का उपनियम (1) (ख) को हटाकर इसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें -

- (ख) कार्यरत स्टेशन मास्टर स्वयं अथवा कोई अन्य सक्षम रेल सेवक जिसे इस संबंध में अधिकृत किया गया है, जब आवश्यक हो, अवरोध से न्यूनतम 45 मीटर की दूरी पर लोको पायलट को यह बताने के लिए कि उसे कहीं गाड़ी खड़ी करना है, खतरा का हाथ सिगनल दिखाता हुआ खड़ा रहेगा ।

पू.म.रे./सामान्य एवं सहायक नियम-2018, संशोधन पृची सं. 08 दि:17.08.2023

मद सं० : 09

पृष्ठ संख्या 222 पर वर्तमान सामान्य नियम 5.16 को हटाकर इसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें -

5.16 गाड़ियों के आगमन के दौरान शंटिंग- ऐसे चिह्नांकित स्टेशनों, जहाँ बार-बार शंटिंग की जाती है, और जहाँ शंटिंग करते समय बरती जानेवाली निम्नलिखित पूर्वावधानियों सहित ऐसे कॉटों को रोक सिगनल या शंट सिगनल द्वारा संरक्षित किया गया हो, विशेष अनुदेशों के सिवाय जब कभी किसी ऐसी लाइन पर आने वाली गाड़ी के लिये सिगनल 'ऑफ' किये जायें जिसका पृथक्करण (आइसोलेट) नहीं किया गया है, तो उन कॉटों की ओर कोई शंटिंग नहीं की जाएगी जिन पर आने वाली गाड़ी को पास होना है -

- क) शंटिंग, प्राधिकृत सक्षम रेल सेवक के पर्यवेक्षण में की जाएगी; और
- ख) रेक अथवा लदान पूर्णतः वात ब्रेक पर होने चाहिए; और
- ग) शंटिंग के दौरान अधिकतम गति 15 किमी. प्रतिघंटा से अधिक नहीं होगी ।

पू.म.रे./सामान्य एवं सहायक नियम-2018, संशोधन पृची सं. 08 दि:17.08.2023

{प्राधिकार-रेलवे बोर्ड का पत्रांक 2021/सेफ्टी/(एएण्डआर)/19/49 दिनांक 25.07.2023 एवं राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि. 526(अ) दिनांक 21.07.2023}

मता 25  
17/8/23

पृष्ठ संख्या 222 पर निम्नलिखित को सहायक नियम 5.16 के उपनियम (2) के रूप में जोड़ें तथा वर्तमान सहायक नियम को उपनियम (1) रूप में पढ़ें –

**नियम जी.आर. 5.16 को निम्नलिखित अनुदेशों के साथ पढ़ा जाए :**

1. प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक द्वारा संशोधित 5.16 के परंतुक के तहत सिगनल शंटिंग संचलन की अपवाद स्वरूप छूट दी जा सकती है ।
2. शंटिंग के ऐसे मामलों में, जहाँ संशोधित जी.आर. 5.16 के तहत विशेष अनुदेशों के अंतर्गत प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक द्वारा अनुमति दी गई है, लोको को आगे की ओर लगाकर शंटिंग उस पॉइंट की ओर की जाएगी जहाँ से आने वाली रेलगाड़ी को गुजरना है । विशेष अनुदेशों के तहत प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक द्वारा अनुमत शंटिंग संचलन के लिए आमतौर पर पुशिंग लोको के साथ शंटिंग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।
3. आवश्यकता होने पर संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक द्वारा स्थानीय स्थितियों के आधार पर अतिरिक्त सावधानियाँ निर्धारित की जा सकती है ।
4. प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक द्वारा विशेष अनुदेशों के तहत अनुमत सिगनल शंटिंग संचलन को सिगनल इंटरलॉकिंग योजना और स्टेशन संचालन नियम रूपरेखा में स्पष्ट रूप से पृष्ठांकित किया जाए ।
5. चूंकि संशोधित जी.आर. 5.16 में उल्लेखित सावधानियों का फील्ड कर्मचारियों द्वारा पालन किया जाना है, इसलिए प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक द्वारा विशेष अनुदेशों के तहत अनुमत ऐसे संचलन का स्टेशन संचालन नियमों में सावधानियों की सूची सहित स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए, जो निम्नानुसार है:

क. सं.	विशेष अनुदेशों के तहत अनुमत सिगनल शंटिंग संचलन		बरती जाने वाली सावधानियां
	शंट सिगनल सं.	पॉइंट नंबर की ओर (जहाँ से आने वाली रेलगाड़ी को गुजरना है)	
1			
2			

6. संशोधित जी.आर. 5.16 के अंतर्गत विशेष अनुदेशों के तहत प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक द्वारा विशेषानुमति की कार्रवाई सिगनल योजना के अनुमोदन के समय करनी चाहिए ताकि तदुपरांत कोई पुनः कार्य शामिल न हो ।

पू.म.रे./सामान्य एवं सहायक नियम-2018, संशोधन पर्ची सं. 08 दि:17.08.2023

{प्राधिकार-रेलवे बोर्ड का पत्रांक 2021/सेफ्टी/(एएण्डआर)/19/49 दिनांक 25.07.2023 एवं राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि. 526(अ) दिनांक 21.07.2023}

*hnd*  
17/8/23



मद सं0 : 11

पृष्ठ संख्या 269 पर वर्तमान सामान्य नियम 8.05 का उपनियम (3) को हटाकर इसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें –

- (3) इन नियमों के नियम 5.16 द्वारा यथा अनुज्ञाप्राप्त के सिवाय जब किसी लाइन पर जो पृथक नहीं की गई है पर आने वाली गाड़ी के लिए सिगनल 'ऑफ' किए जा चुके हैं तो शंटिंग उन काँटों की तरफ नहीं की जाएगी, जिन पर आने वाली गाड़ी को पास होना है ।

पू.म.रे./सामान्य एवं सहायक नियम-2018, संशोधन पर्वी सं. 08 दि:17.08.2023

{प्राधिकार-रेलवे बोर्ड का पत्रांक 2021/सेफ्टी/(एएण्डआर)/19/49 दिनांक 25.07.2023 एवं राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि. 526(अ) दिनांक 21.07.2023}

मद सं0 : 12

पृष्ठ संख्या 271 पर वर्तमान सामान्य नियम 8.10 का उपनियम (2) को हटाकर इसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें –

- (2) इन नियमों के नियम 5.16 द्वारा यथा अनुज्ञाप्राप्त के सिवाय जब किसी लाइन पर, जो पृथक नहीं की गई है, पर आने वाली गाड़ी के लिए सिगनल 'ऑफ' किए जा चुके हैं तो शंटिंग उन काँटों की तरफ नहीं की जाएगी, जिन पर आने वाली गाड़ी को पास होना है ।

पू.म.रे./सामान्य एवं सहायक नियम-2018, संशोधन पर्वी सं. 08 दि:17.08.2023

{प्राधिकार-रेलवे बोर्ड का पत्रांक 2021/सेफ्टी/(एएण्डआर)/19/49 दिनांक 25.07.2023 एवं राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि. 526(अ) दिनांक 21.07.2023}

17/8/23

पृष्ठ संख्या 398 पर वर्तमान सहायक नियम 16.02 का उप-नियम (2) (क) को हटाकर इसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें -


समपार फाटकों पर रखे जाने वाले उपकरण :-

क. सं.	वस्तु	मात्रा/संख्या
(1)	हाथ सिगनल बत्ती तीन रंगों वाला	3 (चार लाईन या ट्रिपल लाइन या जुड़वा सिंगल लाईन पर 5)
(2)	हाथ सिगनल झण्डी हरा	1 डंडे में समाया हुआ
(3)	हाथ सिगनल झण्डी लाल	3 डंडे में समाया हुआ (चार लाईन या ट्रिपल लाइन या जुड़वा सिंगल लाईन पर 5 डंडा लगा हुआ)
(4)	बैनर झण्डा लाल	3 (चार लाईन या ट्रिपल लाइन या जुड़वा सिंगल लाईन पर 5)
(5)	लाल बैनर झण्डा को प्रदर्शित करने के लिए पोस्ट	3 (चार लाईन या ट्रिपल लाइन या जुड़वा सिंगल लाईन पर 5)
(6)	अतिरिक्त चेन ताला के साथ	2 रोक चिह्न के साथ नोट :- जहाँ लिफ्टिंग बैरियर के अलावा सलाइडिंग बूम दिये गये हैं वहाँ अतिरिक्त चेन एवं तालों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है।
(7)	पटाखा सिगनल	10 (डिब्बे में)
(8)	महताबी सिगनल	1 (मल्टीपल लाईन, दोहरी लाईन, समानान्तर लाईन, उपनगरीय सेक्शन स्वचालित सिगनलिंग और घाट सेक्शन में - 3) नोट :- जहाँ सेल/बैट्री परिचालित एल.ई.डी.युक्त फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प दिए गये हैं तो फ्यूजी/महताबी सिगनल का प्रयोग किया जाना आवश्यक नहीं होगा। गेटमैन अपने साथ सेल/बैट्री का एक सेट अलग से भी रखेंगे।
(9)	गेट बत्ती	2 (सिवाय इसके कि जहाँ सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए गेट लैम्प सिगनल के बदले रेट्रो रिफ्लेक्टिव फिटिंग प्रदान की गई है।)
(10)	टॉमीबार	1
(11)	मोटर पैन	1
(12)	स्पेड/फावड़ा	1
(13)	धुरमूस/रैमर	1 (पक्के सड़क की हालत में इसकी जरूरत नहीं है।)
(14)	कुल्हाड़ी	1 (अलकतरा या पक्के सड़क की हालत में इसकी जरूरत नहीं है।)
(15)	तेल के लिए डब्बा	1
(16)	पानी के लिए बर्तन/बाल्टी	1
(17)	चश्मा का अतिरिक्त सेट यदि गेटमैन चश्मा पहनता हो तो	1
(18)	गेट पर बाधा की हालत में गेट को सुरक्षित करने के लिए चित्रित करते हुए बोर्ड	1
(19)	टोकरी	1
(20)	सीटी	1
(21)	दीवार घड़ी	1

नोट : यातायात (ट्रॉफिक) फाटकों में कम संख्या 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18 एवं 19 के बिना काम चलाया जाएगा।

पू.म.रे./सामान्य एवं सहायक नियम-2018, संशोधन पर्ची सं. 08 दि: 17.08.2023

सर्व संबंधित पूर्व मध्य रेल के सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक -2018 को तदनुसार संशोधित करेंगे तथा इसे सभी संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित करेंगे।

  
(मनोज सिंह)

प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक  
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

दिनांक: 17.08.2023